"राज्य सभा में पुरःस्थापन के लिए"

2005 का विधेयक संख्यांक 115

सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

कतिपय क्षेत्रों की सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषणा

3. राज्य सरकार की किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की शक्ति ।
4. राज्य सरकार द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र को ऐसा घोषित करने पर किए जाने वाले उपाय ।

अध्याय 3

सांप्रदायिक हिंसा को आगे बढ़ाने वाले कार्यों का निवारण

5. जिला मजिस्ट्रेट की निवारक उपायों को करने की शक्ति ।
6. सक्षम प्राधिकारी की निवारक उपाय करने की शक्ति ।
7. आयुध, गोला बारुद आदि को जमा करने का आदेश देने की शक्ति ।
8. सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में आयुधों आदि की तलाशी लेने परिरोध करने और अभिग्रहण करने की शक्ति ।
9. कतिपय कार्यों को प्रतिषिद्ध करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।
10. सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में व्यक्तियों के आचरण के संबंध में आदेश करने की शक्ति ।
11. प्रतिषिद्ध स्थानों के निकट संदेहास्पद स्थिति में घूमने के लिए दंड ।
12. अनुज्ञप्ति के बिना आयुध आदि को कब्जे में रखने के लिए दंड ।
13. अपराधियों की सहायता करने के लिए दंड ।
14. इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दंड ।
15. साक्षियों आदि को धमकी देने के लिए दंड ।
16. माल परिवहन यान के ड्राइवर, स्वामी या किसी भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों का न ले जाया जाना ।

खंड

17. असद्भावपूर्वक रीति में कार्य करने वाले लोक सेवकों के लिए दंड ।

18. सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में संहिता की धारा 144 के अधीन आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड ।

अध्याय 4

सांप्रदायिक हिंसा और कतिपय अन्य अपराधों के लिए वर्धित दंड

19. सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए दंड ।

अध्याय 5

अन्वेषण

20. अनुसूचित अपराधों का संज्ञेय होना ।

21. स्थानों की पुलिस थानों के रूप में घोषणा ।

22. पुनर्विलोकन समिति का गठन ।

23. विशेष अन्वेषण दलों का गठन ।

अध्याय 6

विशेष न्यायालय

24. विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

25. विशेष न्यायालयों का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति ।

26. बैठक का स्थान ।

27. विशेष न्यायालय की अधिकारिता ।

28. अन्य अपराधों के बारे में विशेष न्यायालय की शक्ति ।

29. लोक अभियोजक ।

30. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां ।

31. मामले को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति ।

32. साक्षियों को संरक्षण ।

33. नियमित न्यायालयों को अंतरित करने की शक्ति ।

34. ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना, जो अनुसूचित अपराध किए जाने की संभावना हो ।

35. किसी व्यक्ति के स्वयं को क्षेत्र से हटाने में असफल रहने और हटाए जाने के पश्चात् वहां प्रवेश करने पर प्रक्रिया ।

36. अपील ।

37. कतिपय विशेष न्यायालयों का समापन ।

अध्याय 7

अनुतोष और पुनर्वास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

38. राज्य सांप्रदायिक विक्षुब्ध अनुतोष और पुनर्वास परिषद् ।

39. राज्य परिषद् का गठन ।

खंड

40. परिषद् के कृत्य ।

41. सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए राज्य योजना ।

42. जिला परिषद् का गठन ।

43. जिला परिषद् की बैठकें ।

44. जिला परिषद् के कृत्य ।

अध्याय 8

राष्ट्रीय परिषद्

45. राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव अनुतोष और पुनर्वास परिषद् ।

46. राष्ट्रीय परिषध् के सदस्यों की पदावधि और शर्तें ।

47. राष्ट्रीय परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।

48. राष्ट्रीय परिषद् की रिपोर्ट ।

अध्याय 9

राहत और पुनर्वास के लिए निधियां

49. राज्य निधि ।

50. राहत प्रदान करने के लिए स्कीम ।

51. जिला निधि ।

52. जिला परिषद् का राज्य परिषद् के अधीन कार्य करना ।

अध्याय 10

पीड़ितों को प्रतिकर

53. पीड़ितों को प्रतिकर ।

54. तुरंत प्रतिकर ।

अध्याय 11

केन्द्रीय सरकार की कतिपय मामलों में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने की विशेष शक्तियां

55. केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने तथा अधिसूचनाएं जारी करने आदि की शक्ति ।

56. केन्द्रीय सरकार की धारा 51 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का विस्तारण करने या उपांतरण करने की शक्ति ।

अध्याय 12

अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और उन्मुक्तियां

57. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

58. विभेद का प्रतिषेध ।

59. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित नहीं होना ।

खंड

60. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति ।

61. राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति ।

62. 1951 के अधिनियम 43 की धारा 8 का संशोधन ।

अनुसूची

[दि कम्यूनल वायलेंस (प्रिवेंसन, कन्ट्रोल एंड रिहैबिलिटेशन आफ विक्टिम्स) बिल, 2005 का हिन्दी अनुवाद]

सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार को ऐसी सांप्रदायिक हिंसा के, जो राष्ट्र की पंथ निरपेक्ष रचना, एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को भयाक्रान्त करती हो, निवारण और नियंत्रण का और ऐसी हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास का तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए उपाय करने हेतु सशक्त करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह संघ राज्यक्षेत्रों में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(4) इस अधिनियम के उपबंध, अध्याय 2 से अध्याय 6 के सिवाय, (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) राज्यों में उस तारीख को, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा अध्याय 2 से, अध्याय 6 के उपबंध (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

रिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ; 1974 का 2

(ख) "सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन या धारा 55 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन उस रूप में घोषित किया गया हो ;

(ग) "सांप्रदायिक हिंसा" से ऐसा लोप या करण त्रुटि अभिप्रेत है, जिससे किसी अनुसूचित अपराध का गठन होता है और जो धारा 19 के अधीन दंडनीय है ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में या धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन एकीकृत कमान के रूप में नियुक्त करे ;

(ङ) "जिला परिषद्" से धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) "जिला निधि" से धारा 51 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित पीड़ित सहायता निधि अभिप्रेत है ;

(छ) "राष्ट्रीय परिषद्" से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् अभिप्रेत है ;

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(झ) "उपद्रव की कालावधि" से सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के संबंध में वह कालावधि अभिप्रेत है जिसके दौरान उसे, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 55 के अधीन उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "राहत और पुनर्वास" के अंतर्गत आश्रय, चिकित्सीय देखभाल, खाद्य, वस्त्र, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श अथवा राहत के ऐसे अन्य उपायों का, जो राज्य परिषद् या जिला परिषद् द्वारा सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपबंध करना है ;

(ठ) "अनुसूचित अपराध" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध अभिप्रेत है ;

(ड) "विशेष न्यायालय" से धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई विशेष न्यायालय या उपधारा (2) के अधीन स्थापित कोई अपर विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ढ) "राज्य परिषद्" से धारा 39 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित

सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् अभिप्रेत है ;

(ण) "राज्य निधि" से धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि अभिप्रेत है ;

(त) "एकीकृत कमान" से धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों या पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु विस्फोटक अधिनियम, 1884 या आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

1884 का 4
1959 का 54

अध्याय 2

कतिपय क्षेत्रों की सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषणा

राज्य सरकार की किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की शक्ति ।

3. (1) जब कभी राज्य सरकार की यह राय है कि एक या अधिक अनुसूचित अपराध किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा,--

(क) ऐसी रीति से और ऐसे मापमान पर किए जा रहे हैं, जो किसी समूह, जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा के प्रयोग को अंतर्वलित करता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या संपत्ति का नाश होता है ; और

(ख) आपराधिक बल या हिंसा का ऐसा प्रयोग विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असंगतता अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना का सृजन करने की दृष्टि से किया जा रहा है ; और

(ग) जब तक कि तुरंत उपाय नहीं किए जाते हैं, भारत की धर्म निरपेक्ष रचना, अखंडता, एकता और आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, तो वह अधिसूचना द्वारा,--

(i) ऐसे क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगी ;

(ii) ऐसे क्षेत्र का एकल न्यायिक जोन में या इतने न्यायिक जोनों में, जितने वह ठीक समझे, गठन कर सकेगी ।

(2) किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना में वह कालावधि विनिर्दिष्ट होगी जिसके दौरान वह क्षेत्र, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र होगा :

परंतु ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि, प्रथमतः, तीस दिन से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना को, समय-समय पर ऐसी अवधि का किसी ऐसी अवधि तक, जो किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक न हो, विस्तार करने के लिए संशोधित कर सकेगी, यदि उस सरकार की राय में लोक शांति या परिशांति ऐसे क्षेत्र में उपद्रव-ग्रस्त बनी रहती है ।

(3) जहां कोई क्षेत्र उपधारा (1) के अधीन सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है वहां राज्य सरकार के लिए ऐसे सभी उपाय करना विधिपूर्ण होगा जो उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हों ।

(4) जब अधिसूचना उपधारा (1) के अधीन जारी की जाती है, तब राज्य सरकार, राज्य सरकार के एक या अधिक अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे ।

राज्य सरकार द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र को ऐसा घोषित करने पर किए जाने वाले उपाय ।

4. (1) जहां राज्य सरकार ने धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है वहां वह ऐसे तुरंत उपाय करेगी जो ऐसे क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा का निवारण और नियंत्रण करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि केंद्रीय सरकार की सहायता सांप्रदायिक हिंसा का नियंत्रण करने के लिए अपेक्षित है, तो वह केंद्रीय सरकार से संघ के सशस्त्र बलों को हिंसा का नियंत्रण करने के लिए अभिनियोजित करने का अनुरोध कर सकेगी ।

अध्याय 3

सांप्रदायिक हिंसा को आगे बढ़ाने वाले कार्यों का निवारण

जिला मजिस्ट्रेट की निवारक उपायों को करने की शक्ति, आदि ।

5. (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब कभी जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच शांति भंग होने या मतभेद के सृजन की आशंका है, वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध कर सकेगा जिससे उसकी राय में दूसरे समुदाय या जाति या समूह के मस्तिष्क में ऐसी आशंका कारित होने की संभावना है कि वह उस समुदाय या जाति या समूह के विरुद्ध उसे अभित्रस्त करने, धमकी देने या अन्यथा वैमनस्य की वृद्धि करने के लिए निदेशित है ।

(2) धारा 6, धारा 7, धारा 9 और धारा 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट को भी वही शक्तियां होंगी, जो उक्त धाराओं के उपबंधों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में हैं ।

(3) जो कोई इस धारा के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष के अधिक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा ।

सक्षम प्राधिकारी की निवारक उपाय करने की शक्ति ।

6. (1) कोई सक्षम प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में, जिसे सामुदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र अधिसूचित कर दिया गया है, लिखित आदेश द्वारा,—

(i) किसी स्थान या गली में किसी जनसमूह या जुलूस को और साधारण या विशेष सूचना द्वारा मार्गों को, यदि कोई हो, जिनसे और वह समय जिस पर ऐसा जुलूस गुज़र सकेगा या नहीं गुज़र सकेगा, संचालित करने का निदेश देगा;

(ii) यह समाधान हो जाने पर कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग, कोई जन समूह या कोई जुलूस किसी स्थान या गली में संयोजित या इकठ्ठा करने का अथवा कोई जन समूह या जुलूस बनाने का आशय रखता है, जिससे उसके निर्णयानुसार, यदि वह अनियंत्रित रहा तो, परिशान्ति भंग होने की संभावना है, ऐसे जन समूह या जुलूस को संयोजित या इकठ्ठा करने वाले अथवा ऐसे जन समूह या जुलूस को निदेशित करने वाले या उसका संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किए बिना और उसे अभिप्राप्त किए बिना ऐसा नहीं करेगा ; और

(iii) लाउड स्पीकर, संगीत या ध्वनि संवर्धकों या किसी अन्य शोर मचाने वाले उपकरण के किसी गली या लोक स्थान या किसी निजी स्थान में उपयोग को, यदि उसके प्रयोग से आस-पड़ोस में क्षोभ पैदा होता है, प्रतिषिद्ध या विनियमित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो या तीस दिन के लिए, इनमें से जो भी कम हो, प्रवृत्त रहेगा :

परंतु यह कि राज्य सरकार आदेश के प्रभाव का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यदि ऐसे क्षेत्र में विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सांप्रदायिक शांति या समरसता के संरक्षण या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश पहले आदेश की तारीख से साठ दिनों से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

आयुध गोला-बारूद आदि को जमा करने का आदेश देने की शक्ति ।

7. (1) जब किसी क्षेत्र को किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या सभी व्यक्तियों को किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में सभी आयुधों, गोला-बारूद, विस्फोटकों और संक्षारक पदार्थ को निकटतम पुलिस थाने में तुरंत जमा करने का निदेश दे सकेगा, चाहे ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे आयुध, गोला-बारूद, विस्फोटक, संक्षारक पदार्थ को रखने की कोई अनुज्ञप्ति हो या नहीं :

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के वर्ग को, ऐसे आदेश के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(2) जो कोई इस आदेश के अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में आयुधों आदि की तलाशी लेने, परिरोध करने और अभिग्रहण करने की शक्ति ।

8. जब किसी क्षेत्र को, सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया हो, तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि,--

(क) सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के भीतर उसकी अधिकारिता की सीमाओं में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला-बारूद या विस्फोटक और संक्षारक पदार्थ किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए उसके कब्जे में हैं ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला-बारूद या विस्फोटक और संक्षारक पदार्थ लोक शांति या सुरक्षा के खतरे के बिना उसके कब्जे में नहीं छोड़े जा सकते है,

तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं या भारसाधक अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून का दूसरा अधिकारी ऐसे गृह या परिसरों की तलाशी ले सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में हैं या जिनमें भारसाधक अधिकारी यह विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसे आयुध, गोला-बारूद, विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ हैं या पाए जाने हैं और ऐसे आयुध गोला-बारूद, विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ, यदि कोई हों, हो सकते हैं, उनका ऐसे अवधि के लिए जो वह आवश्यक समझे, अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा भले ही वह व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर उन्हें अपने कब्जे में रखने का हकदार हो ।

कतिपय कार्यों को प्रतिषिद्ध करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।

9. (1) जब किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों में जब कभी और ऐसे समय के लिए जो वह आवश्यक समझे, किन्हीं व्यष्टियों को, किसी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित या संबोधित करके लोक शांति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए, किसी नगर, ग्राम या स्थान या किसी ऐसे नगर, ग्राम या स्थान के परिक्षेत्र में किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-

ग्रस्त क्षेत्र में--

(क) आयुधों, दंडों, तलवारों, भालों, मोटी छड़ों, बंदूकों, चाकुओं, सोटों या लाठियों या किसी अन्य वस्तु को ले जाने का, जिसका शारीरिक हिंसा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) किसी संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक को ले जाने का ;

(ग) पत्थरों या अन्य मिसाइलों या उपकरणों या मिसाइलों को ढालने या चलाने की युक्तियों को ले जाने, संग्रह करने और तैयार करने का ;

(घ) व्यक्तियों या व्यक्तियों के शवों या उनके पुतलों के प्रदर्शन का ;

(ङ) लोक धुनों को चीखकर गाने या गानों को गाने, संगीत बजाने का ;

(च) उग्र प्रवचन करने, संकेत या धमकी का प्रयोग करने और तस्वीरों, प्रतीकों, प्लेकार्डों किसी अन्य वस्तु या चीज के प्रदर्शन या प्रसारण का,

प्रतिषेध कर सकेगा जिससे ऐसे प्राधिकारी की राय में लोक शांति का भंग होता हो ।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रतिषेध के उल्लंघन में किसी ऐसी वस्तु से सज्जित होकर जाता है या कोई संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल ले जाता है तो वह निःशस्त्र किए जाने का दायी होगा या संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उससे अभिहित किए जाने का दायी होगा और इस प्रकार अभिगृहीत वस्तु, संक्षारक पदार्थ विस्फोटक या मिसाइल सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में, किसी जनसमूह या जुलूस को जब कभी और ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए वह ऐसा प्रतिषेध लोक शांति के परिरक्षण के लिए आवश्यक समझे, प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा :

परंतु यह कि सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश किया गया ऐसा प्रतिषेध राज्य सरकार की मंजूरी के बिना पन्द्रह दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में लोक सूचना द्वारा किसी गली या लोक स्थान को किसी लोक प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकेगा और व्यक्तियों का इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से, ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाय, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिषेध कर सकेगा ।

(5) जो कोई, इस धारा के अधीन किए गए विधिपूर्ण किसी आदेश की अवज्ञा करेगा या उसकी अवज्ञा का दुष्प्रेरण करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में व्यक्तियों के आचरण के संबंध में आदेश करने की शक्ति ।

10. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सक्षम प्राधिकारी, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के संबंध में--

(क) ऐसे क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्र के पक्षिक्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यक्तियों के आचरण् को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए आदेश कर सकेगा ;

(ख) ऐसे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की उपस्थिति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट किसी विहित प्राधिकारी को संसूचित करने की अपेक्षा करने के लिए आदेश कर सकेगा ; और

(ग) उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु को कब्जे में या नियंत्रण में रखने से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को प्रतिषिद्ध करने का आदेश कर सकेगा ।

(2) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश का किसी न्यायसंगत

और पर्याप्त कारण के बिना उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

प्रतिषिद्ध स्थानों के निकट संदेहास्पद स्थिति में घूमने के लिए दंड ।

11. (1) किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में या उसके परिक्षेत्र में संदेहास्पद स्थिति में घूमने वाला कोई व्यक्ति, किसी पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे छोड़ने का आदेश देने के पश्चात् उसमें या उस परिक्षेत्र में संदेहास्पद स्थिति में नहीं घूमेगा ।

(2) जो कोई, न्यायसंगत और पर्याप्त कारण के बिना इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, किसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अनुज्ञप्ति के बिना आयुध आदि को कब्जे में रखने के लिए दंड ।

12. जो कोई, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के भीतर उपस्थित होते हुए, किसी अनुज्ञप्ति या विधिमान्य प्राधिकार के बिना कोई आयुध, गोला-बारूद विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ कब्जे में रखता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

अपराधियों की सहायता करने के लिए दंड ।

13. कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण रखते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या कोई कार्य करने का लोप किया है, जिसके करने या लोप से वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध होगा उस अन्य व्यक्ति को उक्त अपराध के लिए उसकी गिरफ्तारी, विचारण या दंड का निवारण, प्रतिरोध करने या अन्यथा विघ्न पहुंचाने के आशय से सहायता पहुंचाता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

कतिपय अपराधों को करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दंड ।

14. जो कोई, जानबूझकर किसी ऐसे कार्य को, जो इस अधिनियम के अधीन एक अपराध है, अग्रसर करने या उसका समर्थन करने में कोई धन व्यय करता है उसका या प्रदाय करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

साक्षियों आदि को धमकी देने के लिए दंड ।

15. जो कोई, किसी व्यक्ति को धमकी देता है,—

(i) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष या किसी विचारण में कोई साक्षी है या जिसके साक्षी होने की संभावना है ;

(ii) जिसके कब्जे या जानकारी में, कोई सारवान् दस्तावेज या अन्य सूचना है, जिसको यदि किसी अनवेषण अधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषण में या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ;

(iii) जिसके शरीर या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति या संपत्ति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, क्षति होती है, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या विचारण में परिरुद्ध साक्षी होने से करने या वापस हटने के लिए या उस व्यक्ति को अन्वेषण अधिकारी या उपर्युक्त उल्लिखित न्यायालय के समक्ष ऐसी सामग्री, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने से निवारित करने के लिए बाध्य करता है,

ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

माल परिवहन यान के ड्राइवर, स्वामी या किसी भारसाधक व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को न ले जाया जाना ।

16. जो कोई, किसी माल परिवहन यान का स्वामी, ड्राइवर या अन्यथा भारसाधक होते हुए, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में, यान में, मोटरयान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञात संख्या से अधिक संख्या में व्यक्तियों को ले जाता है या ले जाने देता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा । 1988 का 59

असद्भावपूर्वक रीति से कार्य करने वाले लोक सेवकों के लिए दंड ।

17. (1) जो कोई, लोक सेवक या इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति होते हुए, —

(क) इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित विधिपूर्ण प्राधिकार का असद्भावपूर्वक रीति में प्रयोग करता है, जिससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचती है या पहुंचने की संभावना है ; या

(ख) जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग का लोप करता है और उसके कारण किसी सांप्रदायिक हिंसा के होने, लोक शांति के भंग का निवारण करने में असफल रहता है या समुदाय में आवश्यक सेवाओं और पूर्तियों को बनाए रखने में विघ्न पहुंचाता है,

कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई पुलिस अधिकारी, जो जानबूझकर—

(i) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा करने या उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने से ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध या किसी अपराध के होने के संबंध में संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन सूचना लेखबद्ध करने से ;

(iii) इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध या किसी अपराध का अन्वेषण या अभियोजन करने से,

इंकार करता है, तो वह, उसमें निहित विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करने का जानबूझकर लोप करने का दोषी समझा जाएगा ।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन मंजूरी देने के लिए प्रत्येक अनुरोध का राज्य सरकार द्वारा, अनुरोध की तारीख से तीस दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा ।

सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में संहिता की धारा 144 के अधीन आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड ।

18. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई संहिता की धारा 144 के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करता है, यदि वह आदेश इस अधिनियम के अधीन सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी पदार्थ के बारे में है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

अध्याय 4

सांप्रदायिक हिंसा के लिए वर्धित दंड

सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए दंड ।

19. (1) जो कोई, ऐसा कार्य, जिसका लोप करना या करना एक अपराध है, करता है, जो ऐसे पैमाने पर या ऐसी रीति से किसी अनुसूचित अपराध का गठन करता है जिससे राज्य के किसी भाग के भीतर आंतरिक उपद्रव पैदा होता है और जो राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष रचना, एकता, अखंडता या आंतरिक सुरक्षा को भयाक्रांत करता है, उस कार्य को सांप्रदायिक हिंसा करना कहा गया है ।

1860 का 45

(2) भारतीय दंड संहिता या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई ऐसा कार्य, जिसका लोप करना या करना एक अपराध है, करता है, जो सांप्रदायिक हिंसा का गठन करता है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध की दशा में के सिवाय, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम में उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि कारावास की अधिकतम अवधि तक के दुगने तक हो सकती और अधिकतम जुर्माने के दुगने से दंडित किया जाएगा :

परंतु यह कि जो कोई लोक सेवक या इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन किए गए आदेशों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति होते हुए, सांप्रदायिक हिंसा करता है, पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दोषी है, ऐसी दोषासिद्धि की तारीख से छह वर्षों की अवधि के लिए सरकार के अधीन कोई पद या कार्यालय धारण करने के लिए निहर्रित होगा ।

अध्याय 5

अन्वेषण

अनुसूचित अपराधों का संज्ञेय होना ।

20. (1) संहिता या किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी, प्रत्येक अनुसूचित अपराध, संहिता की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत एक संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और उस खंड में यथापरिभाषित "संज्ञेय मामला" का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस उप निरीक्षक से अन्यून की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण करेगा ।

(3) संहिता की धारा 167 कोई अनुसूचित अपराध अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के संबंध में इन उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी कि उसकी उपधारा (1) में "न्यायिक मजिस्ट्रेट" के प्रतिनिर्देश का "न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट" के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

(4) संहिता की धारा 366 से 377 (दोनों शामिल हैं) और धारा 392 अनुसूचित अपराध से अंतवर्लित करने वाले किसी मामले के संबंध में इन उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी कि "सेशन न्यायालय" के प्रतिनिर्देश का, जहां कहीं वह आता है, क्रमशः "विशेष न्यायालय" के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

स्थानों की पुलिस थानों के रूप में घोषणा ।

21. (1) जब कभी किसी क्षेत्र की, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषणा कर दी गई है, तब राज्य सरकार संहिता की धारा 2 के खंडों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी चौकी

या स्थान को पुलिस थाने के रूप में घोषित करेगी और संहिता के अध्याय 12 के उपबंध यथासाध्य पुलिस को सूचना देने और उनका अन्वेषण करने की शक्ति के संबंध में लागू होंगे ।

(2) राज्य सरकार, सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं या बालकों के विरुद्ध किए गए किसी अनुसूचित अपराध को करने के संबंध में कोई जानकारी लेखबद्ध करने और किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण करने के लिए यथासाध्य संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था करेगी ।

पुनर्विलोकन समिति का गठन ।

22. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र में किए गए किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक मामले का, और जहां अन्वेषक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर आरोप पत्र फाइल नहीं करता है तो वहां राज्य सरकार द्वारा महानिरीक्षक पुलिस के स्तर के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा और ऐसी समिति उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून से भिन्न अधिकारी द्वारा नए अन्वेषण के लिए आदेश पारित कर सकेगी जहां समिति, पहले से किए गए अन्वेषण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसा अन्वेषण आवश्यक होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति ऐसे अपराधों के मामलों में भी पुनर्विलोकन करेगी जहां विचारण की समाप्ति दोष मुक्ति में और अपील फाइल करने के लिए आदेशों को जारी करने में, जहां अपेक्षित हो, होती है ।

(3) समिति अपने निष्कर्षों और हर मामले या मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी ।

विशेष अन्वेषण दलों का गठन ।

23. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र में किए गए अपराधों का अन्वेषण उचित और निष्पक्ष रीति से समुचित रूप से नहीं किया गया था, वहां राज्य सरकार एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जैसा वह ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 6

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

24. (1) राज्य सरकार विक्षुब्ध क्षेत्र की कालावधि के दौरान किए गए अनुसूचित अपराधों के विचारण के प्रयोजन के लिए अधिसूचना जारी करके, एक या अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य में विद्यमान स्थिति की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य के बाहर अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना करना समीचीन है, जिससे कि सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र में किए गए ऐसे अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, जिनका राज्य के भीतर विचारण--

(क) ऋजु या निष्पक्ष होने अथवा अधिकतम शीघ्रता से पूरा किए जाने की संभावना नहीं है ; या

(ख) शांति भंग किए बिना या अभियुक्त, साक्षियों, लोक अभियोजक और न्यायाधीश या इनमें से किसी की सुरक्षा को गंभीर जोखिम के बिना साध्य होने की संभावना नहीं है ; या

(ग) अन्यथा न्याय के हित में नहीं है,

वह केंद्रीय सरकार से ऐसे सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र के संबंध में, राज्य के बाहर कोई अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और तब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करने और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह ठीक समझे, करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, ऐसे अतिरिक्त विशेष न्यायालय राज्य के बाहर ऐसे स्थान पर स्थापित कर सकेगी, [1]जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

विशेष न्यायालयों का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति ।

25. (1) किसी विशेष न्यायालय का अध्यक्ष ऐसा न्यायाधीश होगा जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।

(2) राज्य सरकार, किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अपर न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकेगी ।

(3) कोई व्यक्ति, किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्ह होगा जब वह ऐसी नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रहा हो ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह उपबंध किया जाता है कि किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को, उस सेवा में, जिसका वह है, लागू नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने से उसके ऐसे न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) जहां किसी अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों को किसी विशेष न्यायालय में नियुक्त किया जाता है वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश समय-समय पर लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कामकाज का वितरण स्वयं अपने और अपर न्यायाधीश या न्यायाधीशों के बीच करने के लिए और अपनी या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक कामकाज के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा ।

बैठक का स्थान ।

26. कोई विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझता है तो उस राज्य में, जिसमें वह स्थापित किया जाता है, अपनी बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी स्थान में अपनी किसी कार्यवाही के लिए अधिविष्ठ हो सकेगा :

परंतु यदि लोक अभियोजक विशेष न्यायालय को यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में अभियुक्त या किसी साक्षी के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है या न्याय के हित में अन्यथा समीचीन है कि संपूर्ण विचारण या उसका कोई भाग विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी स्थान में किया जाना चाहिए तो विशेष न्यायालय अभियुक्त को सुनवाई करने के पश्चात् उस आशय का आदेश तभी कर सकेगा जब विशेष न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, कोई अन्य आदेश करना ठीक समझे ।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता ।

27. (1) संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के किसी न्यायिक अंचल में, उस अवधि के दौरान जब ऐसा न्यायिक अंचल है या उसका कोई भाग है, किसी समय किया गया कोई अनुसूचित अपराध, राज्य में ऐसे न्यायिक अंचल के लिए स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा ही, चाहे ऐसी अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के पश्चात्, विचारणीय होगा :

परंतु जहां ऐसी अवधि, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान कोई क्षेत्र उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है, पूर्व की किसी तारीख से प्रारंभ होती है, वहां--

(क) इस उपधारा के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात ऐसे क्षेत्र में किए गए अनुसूचित अपराध को लागू नहीं होगी जिसमें अभियोजन के लिए संपूर्ण साक्ष्य ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से पूर्व ले लिया गया है ; और

(ख) ऐसे सभी अन्य मामले, जिनमें ऐसे क्षेत्र में किए गए अनुसूचित अपराध अंतर्वलित हैं और जो ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, इस धारा के अधीन अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगे और वह विशेष न्यायालय, जिसे ऐसी कार्यवाहियां अंतरित हो जाती हैं, ऐसे मामलों में उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वे उस समय लंबित थीं ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसे किसी मामले के बारे में, जिसमें किसी राज्य में किसी न्यायिक अंचल में किया गया अनुसूचित अपराध अंतर्वलित है, इस अधिनियम के उपबंधों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार की राय में यह समीचीन है कि ऐसे अपराध का विचारण ऐसे न्यायिक अंचल के संबंध में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा राज्य के बाहर किया जाना चाहिए तो राज्य सरकार इस आशय की घोषणा कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण--जहां कोई अतिरिक्त विशेष न्यायालय दो या अधिक न्यायिक अंचलों के संबंध में स्थापित किया गया है वहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा अतिरिक्त विशेष न्यायालय प्रत्येक ऐसे न्यायिक अंचल के संबंध में स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई घोषणा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

(4) जहां कोई घोषणा किसी राज्य के न्यायिक अंचल में किए गए किसी अपराध के बारे में की जाती है वहां ऐसे अपराध के बारे में कोई अभियोजन, ऐसे न्यायिक अंचल के संबंध में राज्य के बाहर स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा और यदि ऐसे अपराध के बारे में कोई अभियोजन ऐसी घोषणा के ठीक पूर्व किसी अन्य न्यायालय में लंबित है तो वह ऐसे अतिरिक्त विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगा और ऐसा अतिरिक्त विशेष न्यायालय ऐसे मामले में उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वह उस समय लंबित था ।

28. (1) किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे अनुसूचित अपराध से भिन्न अपराध का, जिसका अभियुक्त पर उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोप लगाया जाए, विचारण उस दशा में कर सकेगा जब अपराध अनुसूचित अपराध से संबद्ध है ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण के दौरान यह पाया जाता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध का, चाहे वह अपराध कोई अनुसूचित अपराध है या नहीं, सिद्धदोष ठहरा सकेगा, और उसके दंड के लिए प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा ।

अन्य अपराधों के बारे में विशेष न्यायालय की शक्ति ।

29. (1) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब उसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो या वह कम से कम सात वर्ष की अवधि तक संघ या किसी राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण कर चुका हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थ में लोक अभियोजक समझा जाएगा और संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे ।

लोक अभियोजक ।

30. (1) विशेष न्यायालय, अभियुक्त को विचारण के लिए अपने समक्ष सुपुर्द किए बिना उन तथ्यों के, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद की प्राप्ति पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान कर सकेगा ।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विशेष न्यायालय का गठन सार्वजनिक अवकाश दिन अपवर्जित करके, दिन-प्रतिदिन के आधार पर अपनी कार्यवाहियों का संचालन करेगा ।

(3) जहां कोई अनुसूचित अपराध अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय है, वहां संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से धारा 265 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परंतु जब इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले का स्वरूप ऐसा है कि उसका संक्षिप्त रूप में विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायालय किन्हीं साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलवाएगा और ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से मामले की पुनः सुनवाई करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ होगा और उक्त उपबंध किसी विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायालय के लिए दो वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा ।

(4) विशेष न्यायालय, किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा दान कर सकेगा कि वह उस अपराध के और उसके किए जाने में मुख्य कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में अपनी जानकारी में सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सही रूप से प्रकट करेगा और इस प्रकार किए गए क्षमा दान के बारे में संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उसकी धारा 307 के अधीन किया गया है ।

(5) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराधों का विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जहां तक हो सके, इस प्रकार करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो ।

(6) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अतिरिक्त विशेष न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मामले के संबंध में उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो वह मामला ऐसे अतिरिक्त विशेष न्यायालय को संहिता की धारा 406 के अधीन अंतरित किया गया हो ।

मामले को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय का शक्ति ।

31. जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए ।

साक्षियों का संरक्षण ।

32. (1) विशेष न्यायालय, अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से साक्षी की पहचान और उसका पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन उपायों के, जो विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकेगा, अंतर्गत निम्नलिखित उपाय हैं :--

(क) किसी संरक्षित स्थान में कार्यवाहियां करना ;

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में अथवा मामले के ऐसे किसी अभिलेख में, जो जनता के लिए पहुंचगम्य हैं, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख न करना ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों की पहचान और उनके पते प्रकट न हो जाएं, कोई निदेश जारी करना ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति ।

33. जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध नहीं है वहां वह, इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता है और वह न्यायालय, जिसको ऐसा मामला अंतरित किया गया है, अपराध के विचारण के लिए इस प्रकार कार्यवाही प्रारंभ होगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो ।

ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना, जिसके अनुसूचित अपराध किए जाने की संभावना हो ।

34. (1) जहां किसी विशेष न्यायालय का स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत पर या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति संभवतः किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कोई अनुसूचित अपराध कर सकता है तो वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र की सीमा से परे, ऐसे मार्ग द्वारा और ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वयं को हटाने का और उस क्षेत्र में, जिससे स्वयं को हटाने का उसे निदेश दिया गया था, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, वापस न लौटने का निदेश दे सकेगा ।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निदेशित व्यक्ति को उन आधारों को संसूचित करेगा जिनके आधार पर ऐसा आदेश किया गया है ।

(3) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्रतिसंहृत कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

किसी व्यक्ति के स्वयं को क्षेत्र से हटाने में असफल रहने और हटाए जाने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया ।

35. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी क्षेत्र से स्वयं को हटाने के लिए धारा 34 के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है,—

(क) निदेशानुसार स्वयं को हटाने में असफल रहता है ; या

(ख) स्वयं को इस प्रकार हटाने पर उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित में अनुमति के बिना आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उस क्षेत्र से बाहर ऐसे किसी स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, हटवा सकेगा ।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 34 के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस क्षेत्र में, जिससे उसे स्वयं को हटाने का निदेश दिया गया था, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, वापस आने की अनुमति दे सकेगा और उससे अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभूति सहित या उसके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय किसी ऐसी अनुमति को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी अनुमति से उस क्षेत्र में, जिससे उसे स्वयं को हटाने का निदेश दिया गया था, वापस आता है, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और उस अस्थायी अवधि की समाप्ति पर, जिसके लिए उसे वापस आने की अनुमति दी गई थी या ऐसी अस्थायी अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी अनुमति के प्रतिसंहरण पर स्वयं को उस क्षेत्र से बाहर हटा लेगा और नई अनुमति के बिना धारा 34 के अधीन विनिर्दिष्ट उसके अविकल भाग के भीतर वापस नहीं लौटेगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहता है या स्वयं को इस प्रकार हटाने पर उस क्षेत्र में नई अनुमति के बिना प्रवेश करता है या वापस लौटता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उस क्षेत्र से बाहर ऐसे किसी स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, हटवा सकेगा ।

अपील ।

36. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतरवर्ती आदेश नहीं है, अधिकार विषय के रूप में तथ्य और विधि, दोनों पर उच्च न्यायालय को अपील होगी ।

(2) पूर्वोक्त के सिवाए, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से किसी न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की, जिससे अपील की गई है, तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को तब ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

कतिपय विशेष न्यायालयों की समाप्ति ।

37. जहां कोई क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र नहीं रहता है और ऐसे सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के संबंध में स्थापित किए गए किसी विशेष न्यायालय या किसी अतिरिक्त विशेष न्यायालय के समक्ष मामले लंबित नहीं हैं तो, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे विशेष न्यायालय या अतिरिक्त विशेष न्यायालय को समाप्त कर सकेगी ।

अध्याय 7

राहत और पुनर्वास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् ।

38. प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना करेगी ।

राज्य परिषद् का गठन ।

39. राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगें, अर्थात् :–

(क) राज्य का मुख्य सचिव – अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) राज्य का पुलिस महानिदेशक – सदस्य, पदेन ;

(ग) राज्य सरकार में राहत और पुनर्वास कार्य से न्यस्त विभाग का सचिव – सदस्य, पदेन ;

(घ) राज्य सरकार में वित्त विभाग का सचिव – सदस्य, पदेन ;

(ङ) राज्य सरकार में गृह विभाग का सचिव – सदस्य, पदेन ;

(च) राज्य सरकार में जनजाति कल्याण या अल्पसंख्यंक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित समाज कल्याण विभाग का सचिव – सदस्य, पदेन ;

(छ) सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन या सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने से संबंधित कार्य में लगे व्यष्टियों या निजी स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति – सदस्य ;

(ज) पांच से अन्यून व्यक्ति, जो ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं कि राज्य में सभी महत्वपूर्ण धार्मिक समूहों का परिषद् में प्रतिनिधित्व किया जा सके – सदस्य ;

(झ) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून स्तर का एक अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा–सदस्य, पदेन ;

(ञ) खंड (छ) और खंड (झ) के अधीन नियुक्त सदस्यों की अवधि वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

परिषद् के कृत्य ।

40. (1) राज्य परिषद् का राहत, जिसके अंतर्गत तत्काल राहत और पुनर्वास संबंधित उपायों तथा समन्वय भी है, की योजना बनाने और ऐसे उपायों के क्रियान्वयन को मानीटर करने तथा अपेक्षा के अनुसार उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त निदेश जारी करने का उत्तरदायित्व होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य परिषद्,–

(क) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास से संबंधित विषयों में राज्य सरकार को सलाह देगी, जिसके अंतर्गत तत्काल या अंतरिम प्रतिकर प्रदान करना भी है, जो निम्नलिखित से संबंधित सांप्रदायिक हिंसा में किसी व्यष्टि द्वारा उठाई गई हिंसा के संबंध में प्रतिकर की पूर्ण दरों के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, जिसमें प्रतिकर के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना भी है,–

(i) गृहों और माल असबाब की हानि या उसकी नुकसानी ;

(ii) जीवन की हानि और उठाई गई क्षति ;

(iii) कारबार का विनाश या नुकसान और जीविका के साधनों की हानि ;

(iv) लैंगिक हमले या महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार ;

(ख) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों की स्थापना करने के लिए उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना, जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करेंगे :–

(i) ऐसे शिविरों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं ;

(ii) शीत, वर्षा या ग्रीष्म ऋतुओं के लिए समुचित आश्रय ;

(iii) भोजन, पेयजल, प्रसाधन और स्नानादि सुविधाएं ;

(iv) स्वास्थ्य सेवाएं, शिविर में ही क्षतियों का प्रमाणन और निःशुल्क औषधि के क्रय के लिए छह मास की विधिमान्यता वाला चिकित्सीय कार्ड जारी करना, मानसिक आघात संबंधी परामर्श जैसी मनो-सामाजिक सहायता ;

(v) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी राशन कार्डों को जारी करना ;

(ग) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को तीव्र राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के संबंध में सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करना, जिसके अंतर्गत राशन कार्ड या अन्य पहचानपत्र उपलब्ध कराना भी है ;

(घ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में शैक्षिक या अन्य प्रमाणपत्र या स्वामित्व या अन्य दस्तावेजों की हानि या नुकसान को प्रमाणित करना और सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को किसी परीक्षा के लिए उपस्थित होने को सुकर बनाना तथा इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा प्रदान करना ;

(ङ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के बालकों का पुनर्वास करने के लिए केंद्रों की स्थापना करना ;

(च) बीमा संबंधी दावों के शीघ्र निपटारे और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध कराने या सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के मामलों में ऋणों और ब्याज के बंदायों की पुनः व्यवस्था संबंधी उपाय उपलब्ध कराने के लिए वित्त संस्थाओं के परामर्श से एकल खिड़की समाशोधन स्कीम स्थापित करना ;

(छ) अन्य संगठनों के, जो पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आएं, प्रयासों को सभी संभाव्य रीति में सुकर बनाना ;

(ज) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों की दशा को सुधारने की दृष्टि से समुचित सरकार द्वारा अपनाए और कार्यान्वित किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना ;

(झ) सांप्रदायिक हिंसा के दौरान नुकसानग्रस्त या नष्ट किए गए पूजास्थलों के प्रभावित संप्रदाय के सदस्यों के परामर्श और आम सहमति से पुनरुद्धार और मरम्मत संबंधी वित्त पोषण के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और निदेश जारी करना ;

(ञ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम विरचित करना और समुचित सरकार के अनुमोदन से ऐसी स्कीम

के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करना तथा स्कीम को क्रियान्वित करना ;

(ट) जिला सांप्रदायिक सामंजस्य समिति के कार्यों को क्रियाशील बनाना ;

(ठ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित व्यापक डाटा बैंक बनाए रखना ;

(ड) स्थिति से निपटने में और उपचारात्मक उपायों के संबंध में भी आने वाली अपर्याप्तताओं या कमी के बारे में समुचित सरकार को रिपोर्ट करना ;

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक हो, जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा सौंपे जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन कृत्यों का पालन करते समय राज्य परिषद् ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित की जाए ।

सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए राज्य योजना ।

41. (1) राज्य परिषद्, प्रत्येक राज्य के लिए सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए राज्य सांप्रदायिक सामंजस्य योजना के नाम से एक योजना तैयार करेगी, जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य योजना कहा जाएगा और उसे राज्य सरकार को अंगीकार किए जाने के लिए सिफारिश करेगी ।

(2) राज्य योजना निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात् :–

(i) सांप्रदायिक हिंसा के निवारण या प्रशमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, जिसके अंतर्गत जिला स्तर शांति समितियों का गठन भी है, ;

(ii) जिला और उप जिला स्तर पर बलवा निवारण स्कीम सहित सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में किए जाने वाले उपायों का क्षमता निर्माण और तैयारी ।

(3) राज्य सरकार ऐसे उपांतरणों के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, सज्य योजना को अंगीकृत करेगी ।

(4) राज्य सरकार राज्य योजना और धारा 40 के अधीन जारी की गई किसी सलाह, सिफारिश या मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी विधान सभा के पटल पर रखवाएगी :

परंतु जहां राज्य सरकार धारा 40 या इस धारा के अधीन् राज्य परिषद् की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, वहां वह सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों का अभिव्यक्त रूप से कथन करेगी और उसे की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगी तथा उसे यथाशीघ्र विधान सभा के, जब वह सत्र में हो, और जब विधान सभा सत्र में नहीं है, वहां उसके सत्र के प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पटल पर रखवाएगी ।

(5) राज्य योजना का प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्विलोकन और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार राज्य योजना के अधीन किए जाने वाले क्रियाकलापों के वित्त पोषण के लिए समुचित उपबंध करेगी ।

जिला परिषद् का गठन ।

42. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले के संबंध में एक जिला सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) जिला परिषद् 10 से अनधिक उतने सदस्यों से मिलकर बनेगी, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) जिले का, यथास्थिति, कलैक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त, जो अध्यक्ष, पदेन होगा ;

(ख) जिले का पुलिस अधीक्षक -- सदस्य, पदेन ;

(ग) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी -- सदस्य, पदेन ;

(घ) समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यंक कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग या ऐसे अन्य विभागों के, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसे अन्य जिला स्तर के अधिकारी -- सदस्य, पदेन ;

(ङ) निजी स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं -- सदस्य ;

(च) पांच से अन्यून व्यक्ति, जो ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं कि जिले में सभी महत्वपूर्ण धार्मिक समूहों का जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व किया जा सके -- सदस्य ;

(छ) खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नियुक्त सदस्यों की अवधि वह होगी जो विहित की जाए ।

जिला परिषद् की बैठकें ।

43. जिला परिषद् जब कभी आवश्यक हो और ऐसे समय तथा स्थान पर बैठकें करेगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे ।

जिला परिषद् के कृत्य ।

44. (1) जिला परिषद् सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर समन्वय और पुनर्वास निकाय के रूप में कार्य करेगी और राष्ट्रीय परिषद् और राज्य परिषद् द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(क) सांप्रदायिक हिंसा में निम्नलिखित के संबंध में किसी व्यष्टि द्वारा उठाई गई हानि के संबंध में प्रतिकर का निर्धारण,--

(i) जीवन की हानि और उठाई गई क्षति ;

(ii) गृहों, दुकानों और ऐसी अन्य संरचनाओं तथा माल असबाबों की हानि या नुकसानी ;

(iii) कारबार का विनाश या नुकसान और जीविका के साधनों की हानि ;

(iv) लैंगिक हमले या महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार ;

(ख) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों की स्थापना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :--

(i) ऐसे शिविरों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं ;

(ii) शीत, वर्षा या ग्रीष्म ऋतुओं के लिए समुचित आश्रय ;

(iii) भोजन, पेयजल, प्रसाधन और स्नानादि सुविधाएं ;

(iv) स्वास्थ्य सेवांए, शिविर में ही क्षतियों का प्रमाणन और निःशुल्क औषधि के क्रय के लिए छह मास की विधिमान्यता वाला चिकित्सीय कार्ड जारी करना, मानसिक आघात संबंधी परामर्श जैसी मनो-सामाजिक सहायता ;

(v) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी राशन कार्डों को जारी करना ;

(2) जिला परिषद्, सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए एक जिला योजना तैयार करेगी और राज्य परिषद् को उसकी सिफारिश करेगी ।

(3) जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर दिए जाने के लिए किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगी और राज्य परिषद् को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय 8

राष्ट्रीय परिषद्

राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव अनुतोष और पुनर्वास परिषद् ।

45. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव अनुतोष और पुनर्वास परिषद् नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगी, जिसमें ग्यारह सदस्यों से अधिक नहीं होंगे और जो इस अधिनियम द्वारा और उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगी ।

(2) राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(i) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय - सदस्य, पदेन ;

(ii) सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय - सदस्य, पदेन ;

(iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय - सदस्य, पदेन ;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट समाज के अल्पसंख्यंक और कमजोर वर्गों का प्रतिनिधि करने वाले चार - सदस्य, पदेन ;

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा समाज के अन्य ऐसे वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो सांप्रदायिक सामंजस्य बनाए रखने में प्रयासरत हैं, नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति - सदस्य, पदेन ;

(3) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय परिषद् के एक सदस्य को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी ।

राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों की पदावधि और शर्तें ।

46. (1) राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) अपनी नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(2) राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

राष्ट्रीय परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।

47. (1) राष्ट्रीय परिषद् समुचित सरकार को सिफारिश करेगी कि वह—

(क) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की कैसे सहायता की जानी चाहिए और उन्हें किस प्रकार का अनुतोष दिया जा सकता है ;

(ख) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को किस प्रकार पुनर्वासित किया जाएगा ;

(ग) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को दिए जाने वाले प्रतिकर का प्रकार ;

(2) राष्ट्रीय परिषद् सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के बारे में राज्य सरकार से सिफारिश करेगी ।

(3) राष्ट्रीय परिषद् ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगी जो सांप्रदायिक हिंसा के नियंत्रण और विरोध के लिए सहायक हों और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को अनुतोष और पुनर्वास तथा प्रतिकर प्रदान करने में सहायक हों ।

(4) ऐसी हिंसा के होने की सूचना के प्राप्त होते ही सांप्रदायिक हिंसा द्वारा प्रभावित

क्षेत्र का दौरा करने और अपनी सिफारिशों सहित ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान अवस्थिति की एक रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार को भेजने का राष्ट्रीय परिषद् का कर्तव्य होगा ।

राष्ट्रीय परिषद् की रिपोर्ट ।

48. राष्ट्रीय परिषद्, समय-समय पर, सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के अधिकारों की सिफारिश करते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय 9

राहत और पुनर्वास के लिए निधियां

राज्य निधि ।

49. (1) प्रत्येक राज्य में राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि नामक एक निधि की स्थापना की जाएगी और उसमें --

(क) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी रकमें ;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सभी रकमें ;

(ग) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यष्टि अथवा किसी प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन से दान अथवा संदान के रूप में प्राप्त सभी रकमें ;

(घ) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास या कल्याण हेतु, जहां अपेक्षित हो, ऐसी सहायता को शासित करने वाले विद्यमान विनियमों के निबंधनों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संगठनों या भारत में संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त रकमें,

जमा की जाएंगी ।

(2) निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएगी, अर्थात् :–

(क) धारा 40 और धारा 40 के अधीन यथा उपबंधित राहत और पुनर्वास हेतु अनुदानों के प्रयोजनों के लिए ;

(ख) धारा 40 के अधीन राज्य परिषद् की अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने या पालन करने हेतु व्ययों को पूरा करने के लिए ; और

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं ।

(3) राज्य परिषद् सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के संबंध में न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

राहत प्रदान करने के लिए स्कीम ।

50. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यथास्थिति, पीड़ितों को या जीवन की हानि होने की दशा में उनके आश्रितों को या उन्हें, जिनकी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के परिणामस्वरूप संपत्ति की हानि अथवा नुक़सानी हुई है या जीविका के साधनों की हानि हुई है, तुरंत प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध करवाने हेतु अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बनाएगी ।

(2) स्कीम जिला परिषद् द्वारा प्रशासित की जाएगी ।

जिला निधि ।

51. प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में पीड़ित सहायता निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगा और वह जिला परिषद् अधिकाराधीन होगी और उसमें--

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सभी रकमें ;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों के लिए किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यष्टि या किसी प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन से प्राप्त दान या संदान के रूप में प्राप्त सभी रकमें,

जमा की जाएगी ।

जिला परिषद् का राज्य परिषद् के अधीन कार्य करना ।

52. किसी राज्य की जिला परिषदें उस राज्य की राज्य परिषद् के संपूर्ण अधीक्षण और निदेशों के अधीन कार्य करेगी ।

अध्याय 10

पीड़ितों को प्रतिकर

पीड़ितों को प्रतिकर ।

53. (1) जब कभी कोई विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराता है तो वह अपने इस दंडादेश द्वारा यह आदेश भी पारित कर सकेगा कि अपराधी अपराध से हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उपधारा (5) में उल्लिखित व्यक्ति को ऐसा आर्थिक प्रतिकर देगा जो इसमें विहित किया जाए :

परंतु ऐसा प्रतिकर किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा जो अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता के अधीन किए गए किसी अपराध में अंतर्वलित है ।

(2) प्रतिकर की रकम ऐसी होगी जो विशेष न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए और उपधारा (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए साम्यपूर्ण होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी अन्य ऐसे दंड के अतिरिक्त किया जाएगा जिससे सिद्धदोष व्यक्ति को दंडादिष्ट किया गया है या जहां अपराध केवल जुर्माने से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक की नहीं है, दंडनीय है, वहां ऐसा आदेश किसी अन्य दंड के बदले में होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व विशेष न्यायालय अपराध की प्रकृति, उसका हेतुक, अपराधी और ऐसे व्यक्ति की, जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है, आर्थिक स्थिति और अन्य सभी कारकों पर विचार करेगी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर के बारे में यह निदेश दिया जा सकता है कि उसका–

(i) किसी व्यक्ति को, जिसने अभियोजन में या उचित रूप से उपगत किन्हीं अन्य व्ययों को चुकाने में व्यय उपगत किए हैं ;

(ii) किसी व्यक्ति को अपराध से कारित किसी हानि, नुकसान या क्षति के लिए जब उसके लिए प्रतिकर विशेष न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी सिविल न्यायालय में वसूलीय है ;

(iii) दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या ऐसे किसी अपराध का किया जाना उत्प्रेरित करने के लिए किसी अपराध की किसी दोषसिद्धि की दशा में किसी व्यक्ति को, जो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के अधीन, दंडादिष्ट व्यक्ति से ऐसी मृत्यु से उनको होने वाली हानि के लिए नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार है ; 1855 का 12

(iv) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग या रिष्टि, लूट, डकैती, उद्यापन या चुराई गई संपत्ति बेईमानीपूर्वक प्राप्त करना या प्रतिधारित करना अथवा उसका व्ययन करने में स्वैच्छया सहायता करना या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है, सम्मिलित है, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसी संपत्ति के किसी सद्भाविक क्रेता को, उसकी हानि के लिए, यदि ऐसी संपत्ति के हकदार व्यक्ति के कब्जे में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है,

संदाय किया जाए ।

(6) न्यायालय एक ही विषय से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई कोई राशि को ध्यान में रखेगा ।

तुरंत प्रतिकर ।

54. (1) जिला परिषद् साम्प्रदायिक हिंसा द्वारा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से किए दावों को ग्रहण करेगी और जिला परिषद् दावा करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर सम्यक् जांच करने के पश्चात्, यथास्थिति, पीड़ित या उसके आश्रितों को अधिनिर्णीत किए जाने वाले तुरंत प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगी ।

(2) प्रतिकर की रकम, मामलों के प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन यथाविहित प्रतिकर की संपूर्ण दर के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

(3) पीड़ित को प्रतिकर का संवितरण, ऐसी सहायता किसी रकम को, जो उसने राहत या प्रतिकर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन प्राप्त की हो, समायोजित करने के पश्चात् किया जाएगा ।

(4) यदि कोई पीड़ित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के किए जाने में सम्मिलित है तो उन पीड़ितों को या उनके विधिक प्रतिनिधियों को जिला निधि से सहायता नहीं दी जा सकेगी ।

अध्याय 11

केन्द्रीय सरकार की कतिपय मामलों में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने की विशेष शक्तियां

केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने तथा अधिसूचनाएं जारी करने आदि की शक्ति ।

55. (1) जब कभी केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा एक या अधिक अनुसूचित अपराध ऐसी रीति में और ऐसे पैमाने पर किए जा रहे हैं जिसमें किसी समूह, जाति या समुदाय के सदस्यों विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा अंतर्वलित है, जिसका परिणाम मृत्यु या संपत्ति का विनाश होता है और आपराधिक बल या हिंसा का ऐसा प्रयोग विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असामंजस्य या शत्रुता, विद्वेष या वैमनस्य की भावनाएं भड़काने की दृष्टि से किया जाता है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे, एकता, अखंडता या आंतरिक सुरक्षा को आसन्न खतरा है, जो यह अपेक्षा करता है कि संबद्ध राज्य सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाए जाए, तो वह–

(क) राज्य सरकार का उस क्षेत्र में विद्यमान स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करेगी ; और

(ख) राज्य सरकार की ऐसी हिंसा का या आपराधिक बल के प्रयोग का दमन करने के लिए ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, तत्काल सभी उपाय करने का निदेश देगी ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी निदेश के जारी किए जाने पर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी ।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जो आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत है–

(क) किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी करना ;

(ख) राज्य सरकार से सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और उस पर नियंत्रण लगाने संबंधी अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसा करने के लिए सशस्त्र बलों को अभिनियोजित करना ।

(4) जहां यह विनिश्चय किया जाता है कि उपधारा (3) के अधीन सशस्त्र बलों का अभिनियोजन किया जाए वहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार संघ और राज्यों के बलों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को समन्वित और मानीटर करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे बलों को समुचित निदेश देने के लिए एकीकृत कमांन के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

(5) उपधारा (3) के अधीन अभिनियोजित बल जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा एकीकृत कमांन द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के नियंत्रणाधीन और उसके निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे ।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की धारा 55 के अधीन जारी की गई अधि-सूचनाओं का विस्तारण करने या उपांतरण करने की शक्ति ।

56. (1) धारा 55 के अधीन अधिसूचना में वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिस अवधि तक क्षेत्र इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र बना रहेगा :

परंतु यह कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि प्रथम बार तीस दिन से अधिक की नही होगी :

परंतु यह और कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि वह क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है तो वह उक्त अवधि को अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकेगी :

परंतु यह भी कि किसी क्षेत्र के सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए जाने की कुल अवधि साठ दिन की सतत अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया हो कि लोक शान्ति और प्रशान्ति में ऐसा विघ्न, जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, उस क्षेत्र में अब विद्यमान नहीं है तो वह उस क्षेत्र के संबंध में जारी की गई अधिसूचना का, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि को सीमित करने के लिए (चाहे मूल रूप से या उपधारा (1) के अधीन संशोधन द्वारा) संशोधन करेगी ।

अध्याय 12

अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और उन्मुक्तियां

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

57. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या राज्य परिषद्, राष्ट्रीय परिषद् या जिला परिषद् के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को अपेक्षित विधिक सहायता उपलब्ध करवाए, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां चल रही हैं ।

(3) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करते समय अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई क्षति हुई है या उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे प्रतिकर या अनुग्रहपूर्वक राहत की दर से दुगुनी दर पर विशेष प्रतिकर या अनुग्रहपूर्वक राहत दी जाएगी, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार कर्तव्यारूढ़ अन्य सरकारी सेवकों के संबंध में अनुज्ञेय हैं ।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

विभेद का प्रतिषेध ।

58. सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को प्रतिकर और अनुतोष उपलब्ध करवाते समय--

(क) लिंग, जाति, समुदाय, अवजनन या धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा ; और

(ख) जाति, समुदाय या धर्म पर ध्यान दिए बिना समरूपता रखी जानी चाहिए ।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना ।

59. जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, सिवाय उस विस्तार तक जहां तक अन्य विधियों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में,।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

60. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए या उनमें से किसी एक के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

61. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 39 के खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्यों की पदावधि ;

(ख) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) जिला परिषद् के सदस्यों और ऐसे अन्य विभागों की संख्या, जो धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन जिला परिषद् में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेंगे ;

(घ) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जिनके लिए धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य निधि उपयोजित की जाएगी ;

(च) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाया गया नियम और स्कीम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां यह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान मंडल एक सदन का है वहां वह उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1951 के अधिनियम 43 की धारा 8 का संशोधन ।

62. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा—

"(गअ) सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) अधिनियम, 2005 का कोई उपबंध ।" ।

अनुसूची

[धारा 2 की उपधारा (1) का खंड (ठ) देखिए]

1. भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :--

धारा 120ख, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 153क, 153ख, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 295, 295क, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 307, 308, 323, 324, 325, 326, 327 से 335, 341 से 348, 352, 353, 354, 355 से 358, 363-369, 376, 379, 380, 383, 384 से 387, 392, 402, 411, 412, 426, 427, 431, 435, 436, 440, 447 से 462, 504 से 506 और 509 ।

2. आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :--

धारा 25, 26, 27, 28 से 30

3. विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :-

धारा 6(3), 8(2) और 9ख

4. लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :--

धारा 3 और धारा 4 ;

5. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 (1991 का 42) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :--

धारा 6 ;

6. धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :--

धारा 7 ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सांप्रदायिक हिंसा के निवारण और नियंत्रण तथा ऐसी हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और अपराधों के त्वरित अन्वेषण एवं विचारण, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक हिंसा में संलिप्त व्यक्ति पर वर्धित दंडों का, उनसे भिन्न जो भारतीय दंड संहिता में उपबंधित हैं, अधिरोपण भी है, के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु और उनसे संबंधित मामलों के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को सशक्त करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि संसद् द्वारा एक विधि अधिनियमित की जाए।

2. विधेयक अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए है,–

(*i*) राज्य सरकारों द्वारा कतिपय क्षेत्रों को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का उपबंध करना;

(*ii*) सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले कृत्यों का निवारण करने के लिए उपाय अधिकथित करना;

(*iii*) सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित अपराधों और कतिपय अन्य अपराधों के लिए दंडों में वृद्धि करना;

(*iv*) विशेष न्यायालयों के माध्यम से अपराधों के त्वरित अन्वेषण और विचारण के लिए उपबंध करना;

(*v*) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए सहायता और पुनर्वास के उपायों के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं करना;

(*vi*) सांप्रदायिक हिंसा के पीडितों हेतु प्रतिकर के लिए उपबंध करना और कतिपय मामलों में केन्द्रीय सरकार के लिए विशेष शक्तियों के लिए उपबंध करना;

(*vii*) राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद्, राज्य सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद् और जिला सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद् और जिला सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद् के गठन के लिए उपबंध करना; और

(*viii*) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को लिंग, जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर प्रतिकर और सहायता उपलब्ध कराने में किसी विभेद का प्रतिषेध करना।

3. खंडों का टिप्पण विधेयक में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
26 नवम्बर, 2005

शिवराज वी॰ पाटील

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

(गृहमंत्री श्री शिवराज वी॰ पाटील द्वारा महासचिव राज्य सभा को प्रेषित पत्र संख्या 11034/20/2004-एनआई-1(खंड-5) दिनांक 29 नवम्बर, 2005 की प्रति)

'राष्ट्रपति ने प्रस्तावित "सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" की विषय वस्तु से अवगत कराये जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन सभा में विधेयक पर विचार किये जाने की सिफारिश की है।'

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, उसके प्रवर्तन के क्षेत्र और उसके प्रारंभ के लिए उपबंध करता है । प्रस्तावित विधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगा । चूंकि प्रस्तावित विधान को प्रवर्तन में लाए जाने से पहले कतिपय प्रारंभिक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं, अतः, यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार को इसे उस तारीख से, प्रवर्तन में लाने के लिए सशक्त किया जाए, जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, केन्द्रीय सरकार विधेयक के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें अधिसूचित कर सकेगी । तथापि अध्याय 2 से अध्याय 6 को (दोनों सम्मिलित हैं,) प्रवर्तन में लाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित किए जाने का प्रस्ताव है ।

खंड 2--इस खंड में विधेयक में प्रयुक्त कतिपय शब्दों और पदों की परिभाषाएं अन्तर्विष्ट है । इन परिभाषाओं के अन्तर्गत, "सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र", "सांप्रदायिक हिंसा"; "सक्षम प्राधिकारी", "राहत और पुनर्वास", "अनुसूचित अपराध", "राज्य निधि" और "एकीकृत कमान" की परिभाषाएं भी हैं । यह भी उपबंधित किया गया है कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 या आयुध अधिनियम, 1959 में प्रयुक्त शब्द ऐसे पद के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे, जो प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त हैं और उसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु उन अधिनियमों में परिभाषित किए गए है । "सांप्रदायिक हिंसा" पद से ऐसे किसी कार्य का लोप या किया जाना अभिप्रेत हैं, जो किसी अनुसूचित अपराध का गठन करता है और जो प्रस्तावित विधान के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन दंडनीय है ।

खंड 3--यह खंड कतिपय परिस्थितियों में किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने की राज्य सरकार की शक्तियों से संबंधित है ।

खंड 4--यह खंड राज्य सरकार द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवगस्त क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपायों को अधिकथित करता है ।

खंड 5--यह खंड ऐसी किसी स्थिति की दशा में, जिसमें विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच में शान्ति भंग होने तथा विसंगति होने की आशंका पैदा होती है, निवारक उपाय करने की जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां अधिकथित करता है ।

खंड 6 से खंड 10--ये खंड किसी अधिसूचित सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में निवारक उपाय करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां वर्णित करते हैं ।

खंड 11 से खंड 15--ये खंड आदेशों के अतिक्रमण में प्रतिषिद्ध स्थानों के आसपास घूमने, कब्जे में लाइसेंस के बिना शस्त्रादि रखने, अपराधियों की सहायता करने, कतिपय अपराधों के किए जाने के लिए वित्तीय सहायता देने और साक्षियों को धमकाने जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दंड का उपबंध करते हैं ।

खंड 16--यह खंड प्राधिकृत व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति ले जाने के लिए माल परिवहन यान के ड्राईवर, स्वामी या किसी भारसाधक व्यक्ति के लिए दंड का उपबंध करता है ।

खंड 17--यह खंड असद्भावपूर्वक आशय से कार्य करने वाले लोक सेवकों के लिए और जानबूझकर कार्यों या लोपों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता के लिए दंड का उपबंध करता है ।

खंड 18--यह खंड किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन आदेशों के अतिक्रमण के लिए दंड का उपबंध

करता है ।

खंड 19--यह खंड, सांप्रदायिक हिंसा के लिए मानदंड और सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए वर्धित दंड विहित करता है ।

खंड 20--यह खंड उपबंध करता है कि अनुसूचित अपराध प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए संज्ञेय अपराध होंगे ।

खंड 21--यह खंड कतिपय स्थानों को पुलिस स्टेशन होने की घोषणा के लिए उपबंध करता है ।

खंड 22--यह खंड राज्य सरकार को, ऐसे अनुसूचित अपराधों के, जहां विचारण दोषमुक्ति में समाप्त होता है, मामलों का पुनर्विलोकन करने और जहां कहीं अपेक्षित हो, अपीलें फाइल करने के लिए आदेश जारी करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करने के लिए सशक्त करता है । समिति से प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्षों और की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है ।

खंड 23--यह खंड उस दशा में जब राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में किए गए अपराधों के अन्वेषण उचित रूप से न्यायसंगत और निष्पक्ष रीति से नहीं किए गए थे तो राज्य सरकार द्वारा एक या अधिक विशेष अन्वेषण टीमों के गठन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 24--यह खंड उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपद्रव की अवधि के दौरान किए गए अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी ।

खंड 25 से 33--ये खंड, अपराधों का च शीघ्र विचारण सुकर बनाने तथा दोषी व्यक्ति को दंड देने के लिए, विशेष न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी पहलुओं को अधिकथित करते हैं । इन पहलुओं के अन्तर्गत,--(i) विशेष न्यायालयों का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति ; (ii) विशेष न्यायालयों के अधिविष्ट होने का स्थान ; (iii) विशेष न्यायालयों की अधिकारिता ; (iv) अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता; (v) लोक अभियोजकों की नियुक्ति ; (vi) विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्ति ; (vii) उच्चतम न्यायालय की मामले अंतरण करने की शक्ति ; (viii) साक्षियों का संरक्षण ; और (ix) नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति, भी हैं ।

खंड 34 से 36--ये खंड, सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में व्यक्तियों के संचलन पर कतिपय निबंधन अधिरोपित करने और अधिरोपित किए गए ऐसे निबंधनों के विरुद्ध अपीलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करते हैं ।

खंड 37--यह खंड, जब कोई अधिसूचित क्षेत्र, सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र नहीं रहता तब कतिपय विशेष न्यायालयों को समाप्त करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 38 से 48--ये खंड राज्य सांप्रदायिक हिंसा राहत और पुनर्वास परिषद् के गठन के माध्यम से राहत और पुनर्वास के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना ; इसकी संरचना और कृत्य (खंड 38 से 40) ; सांप्रदायिक सामजस्य के संवर्धन के लिए राज्य योजना और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण (खंड 41) ; जिला परिषदों के गठन, उनकी संरचना और कृत्य (खंड 42-44) ; राष्ट्रीय परिषद् के गठन और उसकी संरचना (खंड 45) ; राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों के निबंधन और शर्तें (खंड 46) ; राष्ट्रीय परिषद् की शक्तियां और कृत्य (खंड 47) और राष्ट्रीय परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने (खंड 48) के लिए उपबंध करते हैं ।

खंड 49 से खंड 51--ये खंड राहत और पुनर्वास के लिए निधियों की स्थापना करने के लिए उपबंध करते हैं, जिनके अंतर्गत (i) राज्य निधि का स्थापना करना, प्रयोजन और राष्ट्रीय परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना (खंड 49) ; (ii) राहत और तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए स्कीम (खंड 50) ; जिला निधि की स्थापना (खंड 51) भी है ।

खंड 52--यह खंड उपबंध करता है कि जिला परिषदें राज्य परिषद् के अधीन कार्य करेंगी ।

खंड 53--यह खंड विशेष न्यायालयों के आदेशों के अनुसार पद्धतियों को पीडितों को तुरन्त प्रतिकर के संदाय अधिकथित करता है ।

खंड 54--यह खंड सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए जिला परिषद् के माध्यम से तुरन्त प्रतिकर के संदाय के उपबंध करता है ।

खंड 55 और खंड 56--ये खंड कतिपय दशाओं में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियां अधिकथित करते हैं ।

खंड 57--यह खंड अधिकारियों की शक्ति, कर्तव्य और उन्मुक्ति अधिकथित करता है और सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के साथ ही, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के लिए, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन कार्य करते हुए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्षतिग्रस्त होता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है, उपलभ्य दरों से दुगनी दर पर विशेष प्रतिकर या सहायता अनुदान राहत दिए जाने के लिए अधिकथित करता है ।

खंड 58--यह खंड सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को प्रतिकर या राहत प्रदान करते समय लिंग, जाति, समुदाय, अवजनन या धर्म के आधारों पर विभेद के संबंध में प्रतिषेध अधिरोपित करता है ।

खंड 59--यह खंड उपबंध करता है कि अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है और प्रस्तावित विधान के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

खंड 60--यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ये नियम अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों से संबधित हैं ।

खंड 61--यह खंड राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ये नियम, विशेष रूप से, राज्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि (खंड 39), राज्य परिषद् द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया (खंड 40), जिला परिषद् के गठन और इसके सदस्यों के निबंधन और शर्तें (खंड 42), ऐसे अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए राज्य निधि का उपयोग किया जाएगा (खंड 49) से संबंधित हो सकेंगे ।

खंड 62--यह खंड लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (2) में एक नया खंड (गक) अन्तःस्थापित करने के लिए है, जिससे कि अधिकथित किया जा सके कि प्रस्तावित विधान के उपबंध के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति उक्त धारा 8 के अधीन निरर्हता उपगत करेगा ।

प्रस्तावित विधान की अनुसूची ऐसे विभिन्न अपराधों को वर्णित करती है, जो प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित अपराध होंगे ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 45 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगी, जिसमें ग्यारह सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे, जो प्रस्तावित विधान के द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए होगी । खंड 46 का उपखंड (1) यह अधिकथित करता है कि राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) अपनी नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष् की अवधि के लिए पदधारण करेगा । उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि राष्ट्रीय परिषद् के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

2. विधेयक के खंड 49 का उपखंड (1) अन्य बातों के साथ यह अनुबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि नामक निधि स्थापित करेगी और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियां उसमें जमा की जाएंगी । यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुर्नवास निधि में अभिदाय करने का विनिश्चय करती है तो भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्वलित होगा ।

3. विधेयक का खंड 50 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, यथास्थिति, जीवन हानि या क्षति की दशा में पीड़ितों या उनके अश्रितों या उन व्यक्तियों को, जिनको संपत्ति की हानि या नुकसानी या आजीविका के साधनों की हानि हुई है या प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन अपराध के परिणामस्वरुप तत्काल प्रतिकर के अनुदान के प्रयोजन के लिए निधि का उपबंध करने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी । खंड 51 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक जिले में पीड़ित सहायता निधि नामक निधि स्थापित करेगी और उसे जिला परिषद् के व्ययन पर रखेगी और अन्य बातों के साथ राज्य सरकार से प्राप्त सभी राशियां उसमें जमा कि जाएंगी । चूंकि केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्रो के संबंध में सरकार है, अतः इस मद्दे कुछ व्यय केन्द्रीय सरकार को वहन करना होगा ।

4. व्यय का अंतर्वलित होना मुख्यतः सांप्रदायिक हिंसा के घटित होने पर निर्भर करता है, अतः भारत की संचित निधि से व्यय, आवर्ती और अनावर्ती दोनों, का प्राक्कलन करना कठिन है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 60 का उपखंड (1) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को प्रगणित करता है कि जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । ये विषय राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों और ऐसे अन्य विषयों से संबंधित हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं या विहित किए जा सकेंगे ।

2. विधेयक का खंड 50 राज्य सरकारों को सांप्रदायिक उपद्रवों के पीड़ितों या उनके आश्रितों को तुरन्त प्रतिकर अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु, अधिसूचना द्वारा, स्कीमें बनाने के लिए सशक्त करता है ।

3. विधेयक के खंड 61 का उपखंड (1) राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को सशक्त करता है । ऐसे नियमों में, अन्य बातों के साथ, खंड 39 के अधीन नियुक्त राज्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि, खंड 40 के उपखंड (2) के अधीन उसके कृत्यों के पालन के दौरान राज्य परिषद् द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, खंड 42 के उपखंड (2) को खंड (घ) के अधीन जिला साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् और ऐसे अन्य विभागों के, जिनका जिला साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, सदस्यों की संख्या, खंड 42 के उपखंड (2) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन जिला साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् के सदस्यों को नियुक्त करने के निबंधनों और शर्तों, अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए राज्य साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि खंड 49 के उपखंड (2) के पैरा (ग) के अधीन लागू की जाएगी और किसी अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए, के लिए उपबंध किए जा सकेंगे ।

4. विधेयक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और स्कीमों को संसद् के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और स्कीमों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

5. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और स्कीमें बनाई जा सकेंगी, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 41) से उद्धरण

* * * * *

कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्ध की निरर्हता ।

8. (1) * * * *

(2) कोई व्यक्ति जो,--

* * * * *

MGIPMRND—3982RS—30.11.2005